(7)

प्रकरण संख्या–84/15 तारीख रजु–27.08.2015

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, हिण्डौन सिटी, जिला करौली, राज. – प्रार्थी

बनाम

1. गीता देवी संचालिका, अन्नपूर्णा महिला सहकार समिति उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत खेड़ली गुर्जर
2. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री पदम सिंह निवासी भोले का पुरा, खेड़ली गुर्जर वाहन चालक/मालिक बोलेरो पिकअप JK02Q6581
3. जयप्रकाश पुत्र श्री किशन सिंह जाट निवासी भोले का पुरा, खेड़ली गुर्जर

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत

निर्णय दिनांक–26.09.2017

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक हिण्डौन जिला करौली ने यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि दिनांक 25.08.2015 को पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन से राशन के गेहूं की कालाबाजारी करते हुए एक बोलरो पिकअप की पकड़ कर थाने लाने की सूचना पर मैं पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन पहुंचा था। पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन परिसर में एक बोलरों पिकअप संख्या JK02Q6581 खड़ी पाई जिसमें 30 प्लास्टिक के कट्टे गेंहूं से भरे हुए रखे पाये। मौके पर उपस्थित एस.एच. ओ. श्री कैलाश चंद्र ने उक्त बोलरो व गेंहूं को कृषि उपज मंडी से राशन के गेंहूं की कालाबाजारी करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ कर लाने की बात बताई तथा रसद विभाग के अधिकारियों को सूचना देना बताया। मौके पर उक्त बोलरो के साथ दो व्यक्ति श्री कन्हैया लाल व श्री जयप्रकाश उपस्थित मिले। मौके पर पिकअप संख्या JK02Q6581 की जांच करने तथा मौके पर उपस्थित वाहन के ड्राईवर/मालिक व राशन दुकानदार श्रीमती गीता देवी के पुत्र श्री जयप्रकाश से पूछताछ करने पर वाहन में भरे हुए 30 कट्टे गेंहूं जो तौल करने पर 15 क्विं. राशन के गेंहूं की कालाबाजारी सिद्ध होने पर मेरे द्वारा जब्त सरकार किया गया। उक्त गेंहूं को राशन डीलर महेन्द्र सिंह तोमर उचित मूल्य दुकान वार्ड नम्बर 17 नगर परिषद हिण्डौन की सुपुर्दगी में व वाहन को पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन की सुपुर्दगी में रूवरू मौतविरान दिया गया। मौके पर फर्द मौका जप्ती व सुपुर्दगीनामा बनाया गया। अंत में उक्त पुराने वाहन संख्या JK02Q6581 को मय 15 क्विं. गेंहूं मय वारादाना राजसात् करने हेतु आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

जिला कलक्टर
करौली

अप्रार्थीगण नं. 2 व 3 ने उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.08.15 को पिकअप बोलोरो में पकड़े गये गेंहूं से अप्रार्थी नं. 1 ता 3 का कोई संबंध नहीं है। उक्त गेंहूं अमरसिंह पुत्र लटूरया जाट निवासी अटकोली (खेडली गुर्जर) तहसील हिण्डौन का निजी गेंहूं है जो उसकी खातेदारी भूमि की कृषि उपज है। उक्त गेंहूं अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का नहीं है जिसकी प्रयोगशाला जांच न्यायालय द्वारा कराया जाना न्यायोचित है जिससे असलीयत न्यायालय के समक्ष आ सके। उक्त गेंहूं प्लास्टिक के खुले कट्टों में होना बताया है। मैं अप्रार्थी कन्हैयालाल अपनी पिकअप से अमरसिंह के गेंहूं को भाड़े पर लेकर गया है। जब्तशुदा गेंहूं अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का नहीं है बल्कि अमरसिंह की कृषि भूमि की उपज से पैदा हुआ गेंहूं है। प्रवर्तन निरीक्षक व एस.एच.ओ. द्वारा साजिश कर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का दिनांक 25.08.15 को निरीक्षक करने के उपरांत अप्रार्थी नं. 1 को दिनांक 09.08.15 को प्राप्त माल 42 क्विं. गेंहूं का वितरण दिनांक 14.08.15 व दिनांक 22.08.15 को हो जाने के कारण स्टॉक व बिक्री रजिस्टर का निरीक्षण करने के बाद जांच रिपोर्ट हिण्डौन कार्यालय पर चल कर तैयार करने की कहने एवं अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र अप्रार्थी नं. 2 के निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की कहकर हिण्डौन ले जाकर प्रवर्तन अधिकारी ने अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश से धोखे से दो कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा कर यह गलत व झूंठी रिपोर्ट प्रस्तुत कराकर यह सारी अवैध व फर्जी कार्यवाही कर अप्रार्थी नं. 1 का राशन का गेंहूं गलत तौर पर होना बताया है जबकि अप्रार्थी नं. 1 का उक्त गेंहूं से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश का बोलेरो पिकअप के पास मौके पर मिलना गलत तौर पर दर्ज किया है। मैं कन्हैया अप्रार्थी नं. 3 अप्रार्थी नं. 1 का पुत्र नहीं हूं एवं मुझ कन्हैया से अप्रार्थी नं. 1 व 2 का कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। जब अप्रार्थी नं. 1 के पास कोई राशन गेंहूं दिनांक 25.08.15 को शेष नहीं था तब काला बाजारी करने का व पकड़े जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब्तशुदा गेंहूं अमरसिंह का है। पिकअप गाड़ी का मालिक व ड्राईवर मैं कन्हैया पुत्र पदमसिंह हूं। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.08.15 को गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। जयप्रकाश अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र से पूछताछ करना गलत लिखा है। जब्तशुदा गेंहूं को राशन का गेंहूं होना गलत दर्ज किया है बल्कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश के धोखे से निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराने के बहाने से फर्जी तौर पर कोरे कागजों पर गलत तरीके से हस्ताक्षर कराये हैं। प्रवर्तन अधिकारी ने एस.एच.ओ. से साजिश कर अप्रार्थी नं. 1 के राशन दुकान के लाईसेन्स को अन्य डीलरों से मिलकर गलत तौर पर जब्तशुदा गेंहूं जो अमरसिंह का है, को अप्रार्थी नं. 1 का बताकर फर्जी कार्यवाही कर निरस्त कराने की बदनीयती से यह कार्यवाही द्वेषपूर्ण तरीके से की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी नं. 1 ने उपस्थित होकर जबाव पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.08.15 को पिकअप बोलोरो में पकड़े गये गेंहूं से अप्रार्थी नं. 1 का कोई संबंध नहीं है। उक्त गेंहूं अमरसिंह पुत्र लटूरया जाट निवासी अटकोली (खेडली गुर्जर) तहसील हिण्डौन का

जिला कलेक्टर
करौली

निजी गेंहूं है जो उसकी खातेदारी भूमि की कृषि उपज है। उक्त गेंहूं अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का नहीं है जिसकी प्रयोगशाला जांच न्यायालय द्वारा कराया जाना न्यायोचित है जिससे असलीयत न्यायालय के समक्ष आ सके। उक्त गेंहूं प्लास्टिक के खुले कट्टों में होना बताया है। कन्हैयालाल अपनी पिकअप से अमरसिंह के गेंहूं को भाड़े पर लेकर गया है। दिनांक 25.08.15 को अप्रार्थी नं. 1 की दुकान का निरीक्षण किया जाकर नोटिस क्रमांक 1047 दिनांक 01.09.15 जिला रसद अधिकारी करौली से साबित है। जब्तशुदा गेंहूं अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का नहीं है बल्कि अमरसिंह की कृषि भूमि की उपज से पैदा हुआ गेंहूं है। प्रवर्तन निरीक्षक व एस.एच.ओ. द्वारा साजिश कर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का दिनांक 25.08.15 को निरीक्षण करने के उपरांत अप्रार्थी नं. 1 को दिनांक 09.08.15 को प्राप्त माल 42 क्विं. गेंहूं का वितरण दिनांक 14.08.15 व दिनांक 22. 08.15 को हो जाने के कारण स्टॉक व बिक्री रजिस्टर का निरीक्षण करने के बाद जांच रिपोर्ट हिण्डौन कार्यालय पर चल कर तैयार करने की कहने एवं अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र के निरीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की कहकर हिण्डौन ले जाकर प्रवर्तन अधिकारी ने अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश से धोखे से दो कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा कर यह गलत व झूंठी रिपोर्ट प्रस्तुत कराकर यह सारी अवैध व फर्जी कार्यवाही कर अप्रार्थी नं. 1 का राशन का गेंहूं गलत तौर पर होना बताया है जबकि अप्रार्थी नं. 1 का उक्त गेंहूं से कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश का बोलेरो पिकअप के पास मौके पर मिलना गलत तौर पर दर्ज किया है। कन्हैया अप्रार्थी नं. 1 का पुत्र नहीं है एवं कन्हैया से अप्रार्थी का कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है। जब अप्रार्थी नं. 1 के पास कोई राशन गेंहूं दिनांक 25.08.15 को शेष ही नहीं था तब काला बाजारी करने का व पकड़े जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जब्तशुदा गेंहूं अमरसिंह का है। पिकअप गाड़ी से अप्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी के पुत्र जयप्रकाश का कोई संबंध नहीं है। पिकअप का मालिक व ड्राईवर कन्हैया पुत्र पदमसिंह है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.15 को गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। जयप्रकाश अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र से पूछताछ करना गलत लिखा है एवं जब्तशुदा गेंहूं को राशन का गेंहूं होना गलत दर्ज किया है बल्कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश के धोखे से निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराने के बहाने से फर्जी तौर पर कोरे कागजों पर गलत तरीके से हस्ताक्षर कराये हैं जो अप्रार्थी नं. 1 के वितरण व स्टॉक रजिस्टर व बिल से स्पष्ट है। प्रवर्तन अधिकारी ने एस.एच.ओ. से साजिश कर अप्रार्थी नं. 1 के राशन दुकान के लाईसेन्स को अन्य डीलरों से मिलकर गलत तौर पर जब्तशुदा गेंहूं जो अमरसिंह का है, को अप्रार्थी नं. 1 का बताकर फर्जी कार्यवाही कर निरस्त कराने की बदनीयती से यह कार्यवाही द्वेषपूर्ण तरीके से की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है एवं दिनांक 25.08.15 को की गयी निरीक्षण रिपोर्ट पर अप्रार्थी नं. 1 के कोई हस्ताक्षर भी नहीं कराये हैं। अप्रार्थी द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है। अंत में प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अमरसिंह पुत्र लटूरया जाट निवासी खेड़ली गुर्जर अटकोली ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 25.08.15 को 30 कट्टे प्लास्टिक में भरकर मैंने

जिला कलेक्टर
करौली

जो करीब 15 क्विं. थे, को कन्हैया पुत्र पदमसिंह जाति जाट निवासी–पिकअप बोलोरो JK02Q6581 में किराये पर भरकर अनाजमंडी हिण्डौनसिटी में बेचने के लिए ले गया था। कन्हैया उक्त गाडी का मालिक व ड्राईवर था। कन्हैया बोलोरा गाड़ी पिकअप को ले गया और अनाज मण्डी में खड़ा कर दिया। मैं बस से हिण्डौन अनाज मण्डी पहुंचा उससे पहिले ही पुलिस थाना हिण्डौन के पुलिस वाले पिकअप गाड़ी मय गेंहूं के कट्टे को संदेह के आधार पर थाने ले गये हैं और पुलिस वालों ने प्रवर्तन अधिकारी रामस्वरूप चौधरी से साजिश कर कर गलत तौर पर राशन डीलर गीता देवी का गेंहूं बता कर जब्त गलत तौर पर किया है जबकि उक्त गेंहूं मेरी कृषि भूमि खसरा नं. 422, 429, 487, 508, 555 ग्राम अटकोली की कृषि उपज है जिसे रिलीज कर मुझे सुपुर्द किया जाना आवश्यक है। मैं गरीब काश्तकार हूं। मुझे नाजायज नुकसान हो रहा है।

बहस प्रवर्तन निरीक्षक व वकील अप्रार्थीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रवर्तन निरीक्षक का कथन है कि दिनांक 25.08.2015 को पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन से राशन के गेहूं की कालाबाजारी करते हुए एक बोलरो पिकअप की पकड़ कर थाने लाने की सूचना पर मैं पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन पहुंचा था। पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन परिसर में एक बोलरों पिकअप संख्या JK02Q6581 खड़ी पाई जिसमें 30 प्लास्टिक के कट्टे गेंहूं से भरे हुए रखे पाये। मौके पर उपस्थित एस.एच.ओ. श्री कैलाश चंद्र ने उक्त बोलरो व गेंहूं को कृषि उपज मंडी से राशन के गेंहूं की कालाबाजारी करते हुए पुलिस द्वारा पकड़ कर लाने की बात बताई तथा रसद विभाग के अधिकारियों को सूचना देना बताया। मौके पर उक्त बोलरो के साथ दो व्यक्ति श्री कन्हैया लाल व श्री जयप्रकाश उपस्थित मिले। मौके पर पिकअप संख्या JK02Q6581 की जांच करने तथा मौके पर उपस्थित वाहन के ड्राईवर/मालिक व राशन दुकानदार श्रीमती गीता देवी के पुत्र श्री जयप्रकाश से पूछताछ करने पर वाहन में भरे हुए 30 कट्टे गेंहूं जो तौल करने पर 15 क्विं. राशन के गेंहूं की कालाबाजारी सिद्ध होने पर मेरे द्वारा जब्त सरकार किया गया। उक्त गेंहूं को राशन डीलर महेन्द्र सिंह तोमर उचित मूल्य दुकान वार्ड नम्बर 17 नगर परिषद हिण्डौन की सुपुर्दगी में व वाहन को पुलिस थाना कोतवाली हिण्डौन की सुपुर्दगी में रूवरू मौतविरान दिया गया। मौके पर फर्द मौका जप्ती व सुपुर्दगीनामा बनाया गया है। अंत में प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त पुराने वाहन संख्या JK02Q6581 को मय 15 क्विं. गेंहूं मय वारादाना राजसात् करने का निवेदन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण का बहस में कथन है कि उक्त जब्तशुदा गेंहूं से अप्रार्थी नं. 1 का कोई संबंध नहीं है। उक्त गेंहूं अमरसिंह पुत्र लटूरया जाट निवासी अटकोली (खेडली गुर्जर) तहसील हिण्डौन का निजी गेंहूं है जो उसकी खातेदारी भूमि की कृषि उपज है जिसकी प्रयोगशाला जांच न्यायालय द्वारा कराया जाना न्यायोचित है जिससे असलीयत न्यायालय के समक्ष आ सके। उक्त गेंहूं प्लास्टिक के खुले कट्टों में है। दिनांक 25.08.15 को अप्रार्थी नं. 1 की दुकान का निरीक्षण किया गया है जो प्रार्थी विभाग के

जिला कलेक्टर
करौली

नोटिस क्रमांक 1047 दिनांक 01.09.15 जिला रसद अधिकारी करौली से साबित है। प्रवर्तन निरीक्षक व एस.एच.ओ. द्वारा साजिश कर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी नं. 1 की राशन दुकान का दिनांक 25.08.15 को निरीक्षक करने के उपरांत अप्रार्थी नं. 1 को दिनांक 09.08.15 को प्राप्त 42 क्विं. गेंहूं का वितरण दिनांक 14.08.15 व दिनांक 22.08.15 को हो जाने के कारण स्टॉक व बिक्री रजिस्टर का निरीक्षण करने के बाद जांच रिपोर्ट हिण्डौन कार्यालय पर चल कर तैयार करने की कहने एवं अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश से धोखे से दो कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा कर यह गलत व झूंठी रिपोर्ट प्रस्तुत कराकर यह सारी अवैध व फर्जी कार्यवाही कर अप्रार्थी नं. 1 का राशन का गेंहूं गलत तौर पर होना बताया है। अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश का बोलेरो पिकअप के पास मौके पर मिलना गलत तौर पर दर्ज किया है। कन्हैया अप्रार्थी नं. 2, अप्रार्थी नं. 1 का पुत्र नहीं है एवं कन्हैया अप्रार्थी नं. 2 से अप्रार्थी नं. 1 का कोई पारिवारिक संबंध भी नहीं है। पिकअप का मालिक व ड्राईवर कन्हैया पुत्र पदमसिंह है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.15 को गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है। अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश से पूछताछ करना गलत लिखा है एवं जब्तशुदा गेंहूं को राशन का गेंहूं होना गलत दर्ज किया है बल्कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थी नं. 1 के पुत्र जयप्रकाश के धोखे से निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कराने के बहाने से फर्जी तौर पर कोरे कागजों पर गलत तरीके से हस्ताक्षर कराये हैं। उक्त गेंहूं अप्रार्थी नं. 1 का नहीं होना वितरण व स्टॉक रजिस्टर व बिल से स्पष्ट है। प्रवर्तन अधिकारी ने एस.एच.ओ. से साजिश कर अप्रार्थी नं. 1 के राशन दुकान के लाईसेन्स को अन्य डीलरों से मिलकर गलत तौर पर जब्तशुदा गेंहूं जो अमरसिंह का है, को अप्रार्थी नं. 1 का बताकर फर्जी कार्यवाही कर निरस्त कराने की बदनीयती से यह कार्यवाही द्वेषपूर्ण तरीके से की गयी है। दिनांक 25.08.15 को किये गये निरीक्षण में अप्रार्थी नं. के कोई हस्ताक्षर भी नहीं कराये हैं। दिनांक 26.08.15 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 704 / 15 में पुलिस थाना हिण्डौन सिटी के ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा मामला गलत पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट एफ.आर. नंबर 516 / 15 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी में प्रस्तुत कर दी गयी है। अप्रार्थी द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है ना पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य है। अप्रार्थी नं. 2 ने अपने वाहन द्वारा जब्तशुदा गेंहूं जो अमरसिंह पुत्र लटूरया जाट निवासी खेड़ली गुर्जर अटकोली का है, उसे किराये से कृषि उपज मण्डी में बेचने के लिए लाना बताया है और अपने शपथपत्र भी पत्रावली में प्रस्तुत किये हैं। जब्तशुदा गेंहूं जो अमरसिंह पुत्र लटूरया जाट निवासी खेड़ली गुर्जर अटकोली तहसील हिण्डौन सिटी को लौटाये जाने एवं प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य शपथपत्रों का विवेचन किया गया जिससे जब्तशुदा गेंहूं 15 क्विं. कालाबाजारी का होना प्रतीत होता है जिसका अप्रार्थी नं. 2 द्वारा कृषि उपज मंडी में विक्रय के लिए लाना स्वीकार किया है। फर्द जब्ती दिनांक 25.08.15 को पुलिस थाना हिण्डौनसिटी में तैयार की गयी है एवं अप्रार्थीगण के विरुद्ध थाना

जिला कलेक्टर करौली

हिण्डौनसिटी में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है। उक्त गेंहूं का राशन का गेंहूं होने का संदेह होने पर ही जब्त किया गया है जिसे राजसात् किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा गेंहूं 15 क्विं. को मय वारदाना राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि जब्तशुदा गेंहूं 15 क्विं. को बाजार दर से विक्रय कर विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करावें। जिला रसद अधिकारी, करौली को निर्णय की प्रमाणित प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली